रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 440] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 1987/भाद्र 5, 1909
No. 440] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 1987/BHADRA 5, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1987

अधिसूचना

सं. 196/87—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 734 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार

के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 190/87—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 अगस्त, 1987 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में पैरा 2 में "1 सितम्बर, 1987" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 अक्तूबर, 1987" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. स. बी.-22/36/86—टी. आर. यू]

टी. जयरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 27th August, 1987

NOTIFICATION

No. 196/87--CENTRAL EXCISES

G.S.R. 734(E):—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 190/87-Central Excises, dated the 4th August, 1987, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and words "1st day of September, 1987" the figures, letters and words "1st day of October, 1987" shall be substituted.

[F. No. B. 22/36/86-TRU]

T. JAYARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987